न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–88/2010 (2010/00009) वाद पत्र

अनवान

1–हेमा गोदपुत्र चतरभुज गुर्जर निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–हीरालाल आत्मज भैरू गुर्जर निवासी मेलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–गट्टु बेवा भैरू गुर्जर निवासी मेलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3–रतनी पुत्री भैरू पत्नि उदा गुर्जर निवासी मेलुनी हाल मांसिगपुरा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मदनलाल आत्मज भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–श्यामलाल आत्मज भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–कन्हैयालाल आत्मज भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–सोसर बेवा भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर–

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः–14.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी के गोद पिता चतरभुज व अन्य के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 494/1 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 497/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 499/3 रकबा 19 बिस्वा, 500/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 500/3 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा स्थित थी जिसमें चतरभुज आत्मज नाथु का 1/3 हिस्सा था। चतरभुज को रूपये की जरूरत होने के कारण 300 रूपये में भोमा, काना आत्मज उदयराम गुर्जर मेलुनी से उधार लिये और विश्वास के लिये उक्त आराजियात में निहित चतरभुजजी के हिस्से मे से 4 बीघा भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और शर्त यह रखी की जब भी चतरभुजजी रूपये चुकायेंगे तो जमीन पुनः चतरभुजजी के नाम करवा देंगे। इस शर्त पर दिनांक 07.01.1965 को चतरभुजजी ने भोमा व काना के नाम रजिस्ट्री करवा दी। संवत 2034 का मगसर बुदी अमावस को उधार रूपये चुका दिये और भोमाजी ने रजिस्ट्री के पिछे रूपयो की भरपाई कर जमीन चतरभुजजी को सौंप दी। रजिस्ट्री की पुश्त पर गवाहो के समक्ष जमीन सिपुर्द करने व भरपाई की लिखापढ़ी करवा अपनी अगुष्ठ निशानी कर दी और असल रजिस्ट्री चतरभुजजी को सौंप दी तब से ही चतरभुज जी व बाद में वादी का कब्जा चला आ रहा है। जिसे करीब 30 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। भूमियां वादी के कब्जे मे ही चली आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में भोमा [illegible] आत्मज दयाराम गुर्जर के नाम दर्ज हो गई। काना लाऔलाद फोत हो गया और भोमा के भैरू पुत्र था तथा भैरू की मृत्यु 12.01.1983 को हो गई उसके वारीस हीरालाल व गट्टु पत्नि व रतनी पुत्री है लेकिन अभी भूमियां भोमा व काना के नाम पर ही दर्ज है। ग्राम बकाण [illegible] प्रबन्ध होने से साबिका आराजियात के नवीन आराजी संख्या 1678/1885 रकबा 0.24 है0, 16[illegible] रकबा 0.20 है0, 1680 रकबा 0.50 है0, 1681 रकबा 0.20 है0, 1682 रकबा 0.39 है0, 1759 रकबा 0.14 है0, 1760 रकबा 0.17 है0, 1822 रकबा 0.10 है0, 1823 रकबा 0.10 है0, 1824 रकबा 0.21 है0, 1825 रकबा 0.16 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

1826 रकबा 0.33 है0, 1827 रकबा 0.38 है0, 1828 रकबा 0.14 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 3.26 है0 बनाये गये। भोमा व काना की मृत्यु के बाद नामान्तकरण खुलाने का प्रयास नही किया क्योकि इस भूमि बाबत्कोई जानकारी नही थी। भूमियां वादी के कब्जे में मे ही निरन्तर 30 वर्षो से अधिक समय से चली आ रही है और वादी कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। भूमियां भोमा व काना के नाम पर ही है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को जानकारी होने पर खाता अपने नाम खुलवा कर अन्यत्र को स्थानान्तरित कर सकते है। जिससे कब्जे सम्बन्धि अनेक वाद उत्पन्न हो जायेंगे तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर सकते है। जिससे वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या 4 में अकिंत आराजियात में भोमा, काना आत्मज दयाराम के नाम अकिंत 4/15 हिस्सा व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 सादिर फरमाई जावे व राजस्व रेकार्ड में भोमा व काना आत्मज दयाराम गुजर का नाम हटाया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 4 में अकिंत आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 8 फौरमल पक्षकार है जिससे कोई राहत नही चाही गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में यह अंकन किया कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक मे अंकित कृषि आराजियात मे चतरभुज का अन्य खातेदार के साथ 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था, स्वीकार हे परन्तु वादी चतरभुज का गोद पुत्र नही हे व न हो वादी चतरभुज द्वारा कभी गोद लिया गया। चतरभुज को रुपयों की आवश्यकता होने से चतरभुज ने भीमा, काना आत्मज उदयराम से रुपये उधार नही लिये बल्कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित अपने हिस्से की 1/3 कृषि भूमि को भोमा, काना आत्मज उदयराम को विक्रय करके रुपये लिए व अपने हिस्से की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करवा, उसका कब्जा भोमा, काना आत्मज उदयराम गुजर को सौप दिया, तब से लेकर बाज दिन तक उक्त भूमि पर भोमा, काना आत्मज उदयराम गुजर व इनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला जा रहा है। वादी द्वारा इस पेरे मे तमाम तथ्य बनावटी एवं गलत अंकित किये गये है । विक्रय पत्र मे एवं चतरभुज द्वारा जमीन विक्रय करते समय ऐसी को[illegible] उधार लिए जा रहे है व रूपये चुकाने के बाद जतमीन पुनः चतरभुज के नाम रजि[illegible] की होगी। विक्रय की दिनांक के बाद ने तो चतरभुज न ही वादी का उ[illegible] कब्जा [illegible] है। संवत 2034 का मगसर बुदी अमावस को न तो चतरभुज ने भोमा, [illegible] ही उनके द्वारा रजिस्ट्री के पिछे कोई भरपाई भी की गई, सही [illegible] मा की मृत्यु 04.05.1978 व काना की मृत्य 20.10.1977 को हो चुकी थी व भोमा के पुत्र भैरू की मृत्यु दिनांक 12.07.1983 को हो चुकी थी। काना व भैरू की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण 1 के परिवार में महिला ही बची थी व भैरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

के बच्चे छोटे छोटे थे, चतरभुज प्रतिवादीगण संख्या 1 के घर आता जाता रहता था जिसका नाजायज फायदा उठाकर चतरभुज वादग्रस्त आराजियात का विक्रय पत्र चुरा ले गया व फर्जी तरीके से विक्रय पत्र के पीछे लिखापढ़ी कर फर्जी अगुठां निशानी कर दी। उक्त भूमियो पर भोमा व काना का कब्जा चलता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 अनजान होने से उक्त भूमियों का इन्तकाल नही खुलवा सके। वादी वे चतरभुज का उक्त भूमियो पर 30 वर्ष से न तो कब्जा रहा व न ही वर्तमान में है। मजीद कथन के रूप जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को खारीज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में वाद और प्रतिवादी के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया चतरभुज का विक्रय सशर्त था। — जिम्मे वादी
2. विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। — जिम्मे वादी
3. आया विक्रय पत्र को सौंपना उस पर किये गये हस्ताक्षर कब्जे के सन्दर्भ में कोई वैधानिक स्थित व प्राकृतिक न्याय के सन्दर्भ में साक्ष्य स्वरूप स्थिति को वादी के हक में स्वीकार है — जिम्मे वादी
4. वादी चतरभुज का गोदपुत्र है अथवा नही। — जिम्मे वादी
5. विक्रयपत्र चोरी से लेकर कुटरचना तो नही है — जिम्मे प्रतिवादी

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादी के द्वारा खातेदार को पुनः रूपया दे देने से वादवर्णित भूमि वादी के द्वारा प्राप्त कर ली और वाद के समर्थन में वादी हेमा पीडब्ल्यू 1, कवंरदास पिता मोहनदास पीडब्ल्यू 2, रामा पिता छोगा गुर्जर पीडब्ल्यू 3, लालुराम पिता गुलाब गुर्जर पीडब्ल्यू 4 के बयान कराये गये एवं रेकार्ड पेश किया जो नामान्तकरण हेतु चतरभुज के द्वारा तहसीलदार सहाड़ा को आवेदन पेश किया जो प्रदर्श 1ए है, जमाबन्दी 2021 से 2024 पेश की जो प्रदर्श 1 व 2 है, मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो प्रदर्श 3 है, रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 07.01.1965 पेश किया जो प्रदर्श 4 है, जमाबन्दी 2062 से 2065 पेश की जो प्रदर्श 5 है। पड़ौसियो के द्वारा बयान कराये गये जिसमे कब्जा वादी का होना प्रमाणित हुआ है। प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज चोरी का मुकदमा दर्ज नही कराया गया है। अतः वाद डिक्री फरमावें।

प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि वादी के द्वारा तनकी को साबिक नही कराया। कब्जा क्रेता का है। शर्तिया बिकाव नही किया है और कांट छांट करके लिखापढ़ी की है। वादी गोदपुत्र है यह साबिक नही कराया। जवाब दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य नही कराई है। अतः वादपत्र खारीज फरमावे।

दोनो अधिवक्ताओ की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तनीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया चतरभुज का विक्रय सशर्त [illegible] — **जिम्मे वादी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित कराने का [illegible] वादी [illegible] था वादी के द्वारा अपने बयान में कहा कि चतरभुज ने जमीन कब बेची [illegible] नही [illegible] मे पेदा भी नही हुआ था। यह सही है कि चतरभुज ने एक रिपोर्ट लिखा[illegible] और कब्जा सिपूर्द कर दिया है। मेरे पक्ष में चतरभुज ने गोदनामा कर [illegible] नही किया है। भोमा और काना फोत हो चुके है प्रतिवादी को मे नही पहचानता हुँ। यह कहना गलत है हम प्रतिवादी के घर आते जाते थे और कब हमने रजिस्ट्री चुराई गई हो और ए स्थान पर भोमा का अगुंठा है। लालु पिता

गुलाब के द्वारा अपने बयान में संवत 2034 में पुनः लिखा पढ़ी हुई उस समय मोहल्ले में बैठे हुए थे। संवत 2034 में भैरू मर गया था। भोमा के पुत्र भैरू था। लालु ने अन्त में कहा कि यह कहना गलत है कि हेमा ने आपस में जमीन हड़पने के लिये प्रदर्श पर फर्जी लिखापढ़ी करी। रामलाल पिता छोगा के द्वारा के अपने बयान में कहा कि मेरे सामने यह बात हुई की हम जमीन के रूपये वापस दे देंगे और जमीन वापस दे देगें यह बात विक्रय पत्र में लिखाई गई थी यह मुझे पता नही। जमीन बेचने के बाद 4—5 साल में रूपये चुकाये लिखापढ़ी ग्राम राणास में हुई मे भी मौके पर था। जमीन भोमा, काना के गिरवी रखी थी। मोहनदास पिता कवंरदास ने अपने बयान में कहा कि चतरभुज ने हेमा को गोद लिया उसकी रस्म में था। प्रदर्श 4 पर E To F पर मेरे हस्ताक्षर है। गोदनामे में मेरे हस्ताक्षर है मुझे पता नही, भोमा व काना कब मरा मुझे पता नही, लिखापढ़ी ग्राम बकाण में की गई है। यह कहना गलत है कि में झुठे बयान दे रहा हुँ। वादी के द्वारा इस तनकी को उपरोक्त बयानो से साबित कराया गया है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

2. विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा प्रदर्श 4 विक्रय पत्र दिनांक 07.01.1965 के अन्तिम पेज के पिछे केता के द्वारा संवत 2034 मगसर माह की लिखापढ़ी पेश की गई जिसमें कब्जा वादी मूल विकेता को सिपूर्द करना अंकित है से एवं इसके अतिरिक्त स्वतंत्र गवाह लालु पिता गुलाब एवं रामलाल पिता छोगा गुर्जर एवं कंवरदास के बयानो से प्रमाणित होता है। रामलाल के द्वारा अपने बयान में यह भी कहा है कि लिखापढ़ी रूपलाल महाजन के द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय बहक वादी वियद्व प्रतिवादी किया जाता है।

3. आया विक्रय पत्र को सौंपना उस पर किये गये हस्ताक्षर कब्जे के सन्दर्भ में कोई वैधानिक स्थिति व प्राकृतिक न्याय के सन्दर्भ में साक्ष्य स्वरूप स्थिति को वादी के हक में स्वीकार है

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा मूल विक्रय पत्र पर केता के हस्ताक्षर व कब्जा सौपने का इन्द्राज किया हुआ है। प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के अनुसार प्रतिवादी को सुनवाई पुरा अवसर दिया गया है। गांवो में काश्तकारो के मध्य अधिकांश लिखापढ़ी गांवो के अन्दर ही की जाती है और उस लिखापढ़ी के आधार पर कब्जे का लेनदेन होता है और एस लिखापढ़ी के विरोध में स्पष्ट रूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही हो तब उस लिखापढ़ी को वैधानिक मानते हुए आगे कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकरण में वादी को केता के द्वारा कब्जा सौपना मौके पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित कराया है जिससे वैधानिक स्थिति पर विचार किया जाये तो इस तनकी निर्णय वादी विरूद्व प्रतिवादी के किया जाता है।

4. वादी चतरभुज का गोदपुत्र है अथवा नही।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा अपने बयान में कहा कि चतरभुज के द्वारा वादी को [illegible] लिखतम भी वादी के पास होना अकिंत किया किन्तु प्रकरण में गोदनाम पेश नही किया [illegible] विचाराधीन प्रकरण गोद नामे से सम्बधित नही है वादी इस प्रकरण [illegible] साबित न[illegible] रहा है कि उसको चतरभुज को गोदपुत्र घोषित किया जावे। वादी [illegible] विकता चतरभुज के द्वारा जो भूमि विक्रय की गई थी वो पुनः [illegible] के द्वारा लिखापढ़ी करके भूमि सिपूर्द की गई है। वादी के द्वारा स्वतंत्र गवाहो के माध्यम से भी इस तनकी को साबित कराया है। मौके पर कब्जा भी गवाहो के आधार पर वादी का होना बताया जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

वादी चतरभुज की जमीन पर काबिज होकर विधिक वारीस है। इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

5. विक्रयपत्र चोरी से लेकर कुटरचना तो नही है। **जिम्मे प्रतिवादी**

इस तनकी का प्रमाणित कराने का भार प्रतिवादी पर था किन्तु इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य इस प्रकरण में पेश नही की जिससे प्रमाणित होता हो कि विक्रय पत्र चारी से लेकर कुटरचना की हो। इसके विपरीत वादी की साक्ष्य के अनुसार और स्वंतत्र गवाहो के बयानो में स्पष्ट किया कि उक्त लिखापढ़ी गांव राणास में की गई जिस पर गवाहो के हस्ताक्षर है। अगर कुटरचित किया होता तो प्रतिवादी के द्वारा निश्चत रूप से वादी के विरूद्व कार्यवाही की जाती किन्तु इस बाबत् प्रतिवादी के विरूद्व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिसके आधार पर यह नही माना जा सकता है कि विक्रय पत्र चोरी से लेकर कुटरचित किया है। प्रतिवादी इस तनकी को साबित कराने में असफल रहा जिससे इस तनकी का निर्णय भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य सबुत के आधार पर मै भी इस निष्कर्ष पर पहूँचा कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर में नवीन आराजी संख्या 1678/1885 रकबा 0.24 है0, 1679 रकबा 0.20 है0, 1680 रकबा 0.50 है0, 1681 रकबा 0.20 है0, 1682 रकबा 0.39 है0, 1759 रकबा 0.14 है0, 1760 रकबा 0.17 है0, 1822 रकबा 0.10 है0, 1823 रकबा 0.10 है0, 1824 रकबा 0.21 है0, 1825 रकबा 0.16 है0, 1826 रकबा 0.33 है0, 1827 रकबा 0.38 है0, 1828 रकबा 0.14 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 3.26 है0 भूमि में वादी को 4/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.9.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–88/2010 (2010/00009) वाद पत्र

अनवान

1–हेमा गोदपुत्र चतरभुज गुर्जर निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–हीरालाल आत्मज भैरू गुर्जर निवासी मेलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–गट्टु बेवा भैरू गुर्जर निवासी मेलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3–रतनी पुत्री भैरू पत्नि उदा गुर्जर निवासी मेलुनी हाल मांसिगपुरा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मदनलाल आत्मज भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–श्यामलाल आत्मज भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–कन्हैयालाल आत्मज भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–सोसर बेवा भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर में नवीन आराजी संख्या 1678/1885 रकबा 0.24 है0, 1679 रकबा 0.20 है0, 1680 रकबा 0.50 है0, 1681 रकबा 0.20 है0, 1682 रकबा 0.39 है0, 1759 रकबा 0.14 है0, 1760 रकबा 0.17 है0, 1822 रकबा 0.10 है0, 1823 रकबा 0.10 है0, 1824 रकबा 0.21 है0, 1825 रकबा 0.16 है0, 1826 रकबा 0.33 है0, 1827 रकबा 0.38 है0, 1828 रकबा 0.14 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 3.26 है0 भूमि में वादी को 4/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 14.09.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

14.9.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested